बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक : 23/11/26

संख्या–1 / सी०–1018 / 2026–सा०प्र०– 21268 / श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा.प्र.से. (बी एचः 1992), अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 28.11.2026 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 23.11.2026 के आलोक में आलोच्य प्रयोजन हेतु कम–से–कम तीन माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम–16(2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम–16(2) के प्रावधान के तहत श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा को दिनांक 28.11.2026 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/11/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / सी०–1018 / 2026–सा०प्र०– 21268 **/ पटना–15, दिनांकः–** 23/11/26

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग) / सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–3, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली / कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली / महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल / संबंधित विभाग / संबंधित पदाधिकारी / अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना / भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु) / सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एवं 6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/2026

सरकार के अवर सचिव।